डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा
व इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

1. पुखराज मीना पुत्र कजोडमल मीना जाति मीना, निवासी ए–411 श्याम सरोवर के पास श्याम सरोवर कॉलोनी दौसा जिला दौसा
2. संतोष कुमारी पत्नी पुखराज मीना जाति मीना, निवासी ए–411 श्याम सरोवर के पास श्याम सरोवर कॉलोनी दौसा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. नगरपरिषद् आयुक्त महोदय, दौसा
2. बालूराम सैनी पुत्र रामनाथ सैनी जाति माली, निवासी बडावास मौहल्ला दौसा जिला
3. राजप्रकाशदास पुत्र लल्लूदास कौम दादूपंथी, निवासी श्याम सरोवर के पास ग्राम रूगली जिला दौसा
4. मुकेशदास पुत्र लल्लूदास कौम दादूपंथी, निवासी श्याम सरोवर के पास रूगली जिला दौसा
5. अमित कॉलोनाईजर लिमिटेड जरिये डायरेक्टर विजय कुमार विजवर्गीय कौम महाजन, निवासी ई–97 रिया ए एन सुभाष मार्ग सी–स्कीम बगडिया भवन के पास जयपुर
6. तहसीलदार महोदय, तहसील दौसा जिला दौसा
7. उपपंजीयक महोदय, दौसा जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, अधिघोषणा, दुरुस्ती नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड

मुकदमा नम्बर : 49 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस. एवं हाजिरी श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, अधिघोषणा, दुरुस्ती नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रूगली तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी में वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से को यथावत् रखते हुए मौका कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी व नक्शा) में दुरुस्ती की जावे। प्रकरण में तहसीलदार दौसा के पत्रांक 108 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रेषित् मौका कमिश्नर रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। इसके साथ ही उभय पक्षकारान को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार दौसा डिक्री अनुसार पालना करे।
निज ——————— मुबलिग —————————— बाबत ————————— खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह ————————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ————————— अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख [illegible].07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा

मुकदमा नम्बर : 49/2022

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
मुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, जिला दौसा
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	49/2022
दायर दिनांक	:	29.08.2022
निर्णय दिनांक	:	21.07.2025

1. पुखराज मीना पुत्र कजोडमल मीना जाति मीना, निवासी ए–411 श्याम सरोवर के पास श्याम सरोवर कॉलोनी दौसा जिला दौसा
2. संतोष कुमारी पत्नी पुखराज मीना जाति मीना, निवासी ए–411 श्याम सरोवर के पास श्याम सरोवर कॉलोनी दौसा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. नगरपरिषद् आयुक्त महोदय, दौसा
2. बालूराम सैनी पुत्र रामनाथ सैनी जाति माली, निवासी बडावास मौहल्ला दौसा जिला
3. राजप्रकाशदास पुत्र लल्लूदास कौम दादूपंथी, निवासी श्याम सरोवर के पास ग्राम रूगली जिला दौसा
4. मुकेशदास पुत्र लल्लूदास कौम दादूपंथी, निवासी श्याम सरोवर के पास रूगली जिला दौसा
5. अमित कॉलोनाईजर लिमिटेड जरिये डायरेक्टर विजय कुमार विजवर्गीय कौम महाजन, निवासी ई–97 रिया ए एन सुभाष मार्ग सी–स्कीम बगडिया भवन के पास जयपुर
6. तहसीलदार महोदय, तहसील दौसा जिला दौसा
7. उपपंजीयक महोदय, दौसा जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, अधिघोषणा, दुरुस्ती नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित अधिवक्ता : श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा (वादीगण की ओर से)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा यह वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, अधिघोषणा, दुरुस्ती नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रूगली तहसील दौसा अन्तर्गत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता लल्लूदास कौम दादूपंथी के नाम पूर्व में वाके ग्राम रूगली खसरा नम्बर 138 जिसका कुल रकबा 1.40 है॰ था, उक्त खसरा नम्बर से बने 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5 [illegible]दित खसरा नम्बर से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 138 में से 0.08 है॰ वर्तमान खसरा नम्बर 138/1 राजस्व रिकॉर्ड में नगरपरिषद् के नाम दर्ज है। प्रतिवादी [illegible] 3 [illegible] पिता लल्लूदास के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खसरा नम्बर 138 में से 0.[illegible] है॰ भूमि बालूराम सैनी पुत्र रामनाथ सैनी जो कि प्रतिवादी नम्बर 2 है, को बेचान की। जिसका कि वर्तमान में नामान्तकरण भी खुल गया है एवं जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 138/2 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र करने के दौरान प्रतिवादी नं॰ 2 ने अलग खसरा नम्बर 138 में से 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज॰)

45 है. भूमि का अलग बटा नम्बर भी डलवा लिया परन्तु बटा नम्बर डलवाने के उपरान्त नक्शे में तरमीम नहीं करवाई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता लल्लूदास ने विरासत की सम्पत्तिके अन्तर्गत खसरा नम्बर 138 ऊपर वर्णित की विरासत की सम्पत्ति का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खुला व वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का शामलाती खसरा नम्बर जो कि पूर्व खसरा नम्बर 138 के अन्तर्गत से बनाया गया नम्बर 138/3 है, जिसका कि कुल रकबा 0.22 है. है। प्रतिवादी संख्या 5 ने जरिये रजिस्टर्ड पत्र ऊपर वर्णित खसरा नम्बर 138 में से 0.15 है. भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता से किया जिसका कि वर्तमान खसरा नम्बर 138/4 है। वादी संख्या 1 व 2 के द्वारा खसरा नम्बर 138 में से सम्मिलित रूप से 0.25 है. एवं 0.25 है. अर्थात् कुल वादी नम्बर 1 व 2 का रकबा 0.50 है. मौके पर एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से क्रय किया हुआ एवं जिसका कि राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। जिसका कि वर्तमान खसरा नम्बर 138/5 है। वादी एवं वादिनी उक्त मौके पर कब्जा काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे हैं। इस प्रकार मूल खसरा नम्बर 138 वाके ग्राम रूगली अन्तर्गत खसरा नम्बर 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5 बने हैं। जब राजस्व रिकॉर्ड में सैग्रीगेशन का काम चल रहा था तब राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बिना मौके की जाँच किये बिना खातेदारों को नोटिस दिये मौके की स्थिति को जाने बिना तकास्मा कर दिया जो कि वास्तविक मौका स्थिति से भिन्न है। तहसीलदार दौसा के समक्ष सहमति से 0.87 है. भूमि का ही तकास्मा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के मध्य किया गया था किन्तु तत्समय तहसीलदार द्वारा नियमों के विपरीत जाकर कुल रकबा 1.45 है. में से नहीं किया गया केवल 0.87 है. का ही तकास्मा किया गया। अतः निम्नांकित अनुतोष प्रदान किया जावे :–

1. यह कि डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 इस अमर की पारित फरमायी जावे कि वर्तमान मौका व कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी ना करें। वादी को किसी भी प्रकार से बेदखल करने तथा वादी के कब्जे व उक्त चाह के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने दखल देने आदि सहित स्वयं अपने परिवारजन, रिश्तेदार, नौकर, एजेन्ट, मजदूर आदि सहित सदैव के लिए स्थायी रूप से प्रतिबन्धित रहें।
2. यह कि इस आशय की अधिघोषणा जारी कर डिक्री पारित की जावे कि उक्त खसरा नम्बरान की दुरुस्ती, नक्शे की दुरुस्ती किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।
3. यह कि वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र एवं वर्तमान मौका की जाँच पटवारी द्वारा कराकर एवं वादीगण के कब्जे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे की दुरुस्ती किये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध, बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त नांगल बैरसी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार दौसा ने अपने पत्रांक 741 दिनांक 11.03.2024 एवं पत्रांक 108 दिनांक 24.02.2025 द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। प्रकरण में वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की ओर से एक संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत हुआ। राजीनामा तसदीक किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5 वाके ग्राम रूगली तहसील दौसा के राजस्व रिकॉर्ड में मौके की स्थिति अनुसार दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2071–2074 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम रूगली तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.08 है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, खसरा नम्बर 138/2 रकबा 0.45 है. प्रतिवादी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

के नाम, खसरा नम्बर 138/3 रकबा 0.22 है. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम, खसरा नम्बर 138/4 रकबा 0.15 है. प्रतिवादी संख्या 5 के नाम एवं खसरा नम्बर 138/5 रकबा 0.50 है. वादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रेषित् मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि खातेदार मौके पर राजस्व नक्शे अनुसार काबिज नहीं हैं। प्रकरण में वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अन्तर्गत पक्षकारों द्वारा मौके पर कब्जा एवं तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करने पर सहमति व्यक्त की गयी है। प्रस्तुत राजीनामे में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की भूमि में किसी प्रकार की दुरुस्ती नहीं चाही गयी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, अधिघोषणा, दुरुस्ती नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रूगली तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी में वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से को यथावत् रखते हुए मौका कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी व नक्शा) में दुरुस्ती की जावे। प्रकरण में तहसीलदार दौसा के पत्रांक 108 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रेषित् मौका कमिश्नर रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। इसके साथ ही उभय पक्षकारान को एक-दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भारतीय मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

श्रीडर
न/412

363
4/3/25

कार्यालय तहसीलदार दौसा

क्रमांक/राजस्व/2025/168

दिनांकः 24/2/25

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
दौसा

विषयः– प्र.स 49/2022 किस्म (दावा) उनवानी पुखराज मीना वगै0 बनाम नगरपरिषद ग्राम रूगली के जांच संबंध में।
प्रसंगः– श्रीमान् का पत्रांक/कोर्ट/2023/1875 दिनांक 28.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की जांच के संबंध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जॉच भू0अ0निरीक्षक नागंल बैरसी एवं पटवारी हल्का चावण्डेडा से करवाई गई। उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार प्र.स 49/2022 किस्म (दावा) उनवानी पुखराज मीना वगै0 बनाम नगरपरिषद वगै0 में भू0अ0नि0 नागंल बैरसी को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया है। मौके पर मय राजस्व रिकार्ड सहित पटवारी हल्का चावण्डेडा व खातेदार पुखराज मीना संतोष देवी व बालूराम सैनी मौके पर मिले। ग्राम रूगली के ख0न0 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5 का राजस्व नक्शे से मिलान करने पर मय नक्शा सीट के अनुसार उक्त खातेदार काबिज नहीं है। मौके पर राजस्व नक्शे के अनुसार काबिज नहीं होकर निम्न नजरी नक्शे अनुसार काबिज है।

0.45 हैक्टर	0.50 हैक्टर	0.15 हैक्टर	0.22 हैक्टर	0.08 हैक्टर
बालूराम पि0 रामनाथ जाति माली नि0 बडाबास	पुखराज पि0 कजोडमल हि 1/2 संतोष कुमारी पत्नी पुखराज जाति मीना हि0 1/2 खातेदार सा. श्याम	अमित कालोनाइजर्स लि0 जरिये जमाबंदी	राजप्रकाश दास पि0 लल्लूदास हि01/2 मुकेश दास पुत्र लल्लूदास हि0 1/2 जाति दादू पंथी	गै0मु0 आबादी नगर परिषद दौसा खातेदार

इस प्रकार उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों का काबिज होना पाया गया है। मौका रिपोर्ट के साथ उक्त खसरा न0 की वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested